रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 641] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1971/पौष 7, 1893
No. 641] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 1971/PAUSA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1971

S.O. 5588. In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 151 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

THE ENEMY PROPERTY (CUSTODY AND REGISTRATION) ORDER, 1971.

1. **Shortt itle.**—This Order may be called the Enemy Property (Custody and Registration) Order, 1971.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(i) "Custodian" means the Custodian of Enemy Property for India, appointed under rule 151 of the Rules, and includes any Deputy or Assistant Custodian of Enemy Property, authorised by the Custodian in respect of all or any of the provisions of this Order;

(ii) "enemy" means any person whose property is for the time being vested in the Custodian by an Order made under sub-rule (1) of rule 151 of the Rules;

(iii) the expressions "enemy firm", "enemy property", "enemy subject" and "securities" shall have the meanings respectively assigned to them by rule 138 of the Rules;

(iv) "Form" means a form appended to this Order;

(v) "internee" means any person arrested or liable to arrest under paragraph 5 of the Foreigners (Internment) order, 1962;

(vi) "internment camp" means an internment camp established under paragraph 4 of the Foreigners (Internment) Order, 1962;

(vii) "parole centre" means a place declared by the Central Government or any State Government to be a parole centre;

(viii) "person" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not,

(ix) "person on parole" means an enemy foreigner or a person referred to in clause (f) of rule 130 of the Rules in respect of whom there is in force any order made under sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (2) of section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), restricting his residence to the limits of a parole centre;

(x) "Rules" means the Defence of India Rules, 1971.

3. **Payment to Custodian of money otherwise payable to an enemy.**—(1) Any sum payable by way of dividend, interest, share of profits or otherwise, to or for the benefit of any enemy, shall, unless otherwise ordered by the Central Government, be paid by the person by whom such sum would have been payable, but for the provisions of Part XVII of the Rules, to the Custodian or such person as may be authorised by him in this behalf, and shall be held by such Custodian or other person subject to the provisions of this Order.

(2) In cases in which money would, but for the provisions of Part XVII of the Rules, be payable in a foreign currency to or for the benefit of a person who is an enemy (other than cases in which money is payable under a contract in which provision is made for a specified rate of exchange), the payment shall be made to the Custodian in Rupee currency at the middle official rate of exchange fixed by the Reserve Bank of India on the date on which the payment became due to that person.

(3) The Custodian shall, subject to the provisions of paragraph 4 and except in so far as the Central Government either generally or in any specified case may otherwise direct or order, hold any money paid to him under this Order and any property vested in him by an order made under sub-rule (1) of rule 151 of the Rules, untill the Proclamation of Emergency issued on the 3rd December, 1971, ceases to operate, and shall thereafter deal with the same in such manner as the Central Government may direct.

4. **Powers of Custodian in respect of enemy property vesting in him.**—(1) Whenever by order made under sub-rule (1) of rule 151 of the Rules, the property of an enemy is vested in the Custodian, the Custodian may take, or authorise the taking of such measures as he considers necessary or expedient for preserving the property, and, where the property belongs to an individual enemy subject, may incur such expenditure out of the property as he considers necessary or expedient for the maintenance of that individual or of his family in India.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Custodian, or such person as may be specially authorised by him in this behalf, may, for the said purpose—

(i) carry on the business of the enemy;

(ii) take action for recovering any money due to the enemy;

(iii) make any contracts, and execute any documents in the name and on behalf of the enemy;

(iv) institute, defend or continue any suit or other legal proceeding, refer any dispute to arbitration any compromise any debts, claims or liabilities;

(v) raise on the security of the property such loans as may be necessary;

(vi) incur any expenditure, including the payment of any taxes, duties, cesses and rates to Government or to any local authority, and of any wages, salaries, pensions or provident fund contributions to, or in respect of, any employee of the enemy, and the repayment of any debts due the enemy to persons other than enemies;

(vii) transfer by way of sale, mortgage or lease, or otherwise dispose of, any of the property; and

(viii) invest any money's held by him on behalf of enemies in the purchase of Treasury Bills or such other Government securities as may be approved by the Central Government for the purpose.

(3) In respect of the property of a person who is a citizen of India and an enemy within the meaning of clause (b) of rule 130 of the Rules, the Custodian shall have, in addition to the powers mentioned in sub-paragraph (2), the following powers, namely:—

(i) the power to make payments to such person and to his dependents;

(ii) the power to make payments on behalf of such person to persons other than who are enemies under rule 130 of the Rules, of dues outstanding on the date on which such person became an enemy, and

(iii) generally to make such other payments out of the funds of such person as may be directed by the Central Government.

(4) In respect of the property which belonged to an internee or a person on parole who had died in India, the Custodian shall have, in addition to the powers mentioned in sub-paragraphs (1) and (2), the following powers, namely:—

(i) the power to make re-payment of any debts due by the deceased to any authority or person in the internment camp or the parole centre;

(ii) the power to meet the cost of the funeral of the deceased; and

(iii) the power to make such other payments out of the funds of the deceased as may be directed by the Central Government.

5. **Exemption from attachment etc.**—All enemy property vesting in the Custodian shall be exempt attachment, seizure or sale in execution of the decree of civil court or orders of any other authority.

6. **Transfer of securities belonging to an enemy.**—(1) Where in exercise of the powers conferred by paragraph 4, the Custodian proposes to sell any securities issued by a company and belonging to an enemy, the company may, wit hthe consent of the Custodian, purchase the securities, notwithstanding anything to the contrary in any law or in any regulations of the company, and any securities so purchased may be re-issued by the company as and when it thinks fit so to do.

(2) Where the Custodian executes a transfer of any securities issued by a company, the company shall, on receipt of the transfer and an order in this behalf from the Custodian, register the securities in the name of the transfree, notwithstanding that the regulations of the company do not permit such registration in the absence of the certificate script or other evidence of title relating to the securities transferred:

Provided that any such registration shall be without prejudice to any lien or charge in favour of the company and to any other lien or charge of which the Custodian gives express notice to the company.

7. **Power of Custodian to summon persons and call for document.**—(1) A Custodian may by notice in writing, require any person whom he believes to be capable of giving information concerning any enemy property to attend before him at such time and place as may be syecified in the notice, and examine any such person concerning the same, reduce his statement to writing and require him to sign it.

(2) A Custodian may, by notice in writing, require any person whom he believes to have in his possession or control any account book, letter-book, invoice receipt or other document of whatever nature relating to any enemy property, to produce the same or cause the same to be produced, before the Custodian at such time and place as may be specified in the notice, and to submit the same to his examination and to allow copies of any entry therein or any part thereof to be taken by him.

8. **Returns relating to enemy property.**—(1) Every Bank carrying on business in Indian which has any balances or deposits standing to the credit of any enemy shall, within two months of the vesting of his property in the Custodian, communicate to the Custodian in Form A full particulars of such balances or deposits, and may, within two months of such communication, communicate to the Custodian in Form AA full particulars of the debts, if any, owing to it by that enemy.

NOTE—Claims submitted leter will not be considered unless there are exceptional and valid reasons for the delay.

(2) Every company incorporated in India, and every company which though not incorporated in India has a share transfer or share registration office in India, shall, within two months of the vesting of the property of an enemy holding securities of

the company, communicate to the Custodian in Form B full particulars of all securities of the company held by such enemy.

(3) Every firm carrying on business in India, one or more partners of which are enemies, shall, within two months of the vesting of their property in the Custodian and thereafter at such intervals as may be prescribed by the Custodian, communicate to the Custodian in Form C full particulars as to any share of profit sand interest due to such enemies.

(4) Every person residing or carrying on business in India by whom any money would, but for the provisions of Part XVII of the Rules, have been payable or paid to or for the benefit of any enemy by way of dividend, interest or share of profits shall within two months of the vesting of his property, or if such money becomes payable after that period, within one month after it becomes payable, communicate to the Custodian in Form D full particulars of such money.

(5) Every person, other than a bank residing or carrying on business in India who owes any debt to an enemy shall, within two months of the vesting of his property, communicate to the Custodian in Form E full particulars of such debts.

"(6) Every person residing or carrying on business in India who has in his possession or control any property belonging to, or held by or managed on behalf of an enemy subject (who is also an enemy firm) (including any such property of an enemy subject detained in an internment camp or restricted to a parole centre in India) and not covered by the preceding sub-paragraphs, shall, within two months of the vesting of the property, or if the vested property comes into his possession or control after expiry of that period within one month of his so coming into possession or control, communicate to the Custodian full particulars of such property in Form F, in the case of property held in safe custody, and in Form G, in the case of property held otherwise.

In the case of property of enemy subjects, other than internees, residing in India the above particulars may be confined to bank balances and deposits, gratuity, provident funds, dividends and similar payments, securities and immovable property belonging to the aforesaid class of enemy subjects."

(7) Where a return of enemy property has been made in any quarter to the Custodian in Form F or Form G, particulars of any income derived from such property during that and each subsequent quarter shall be communicate to the Custodian in Form H within one month of the expiry of the quarter: and if in any quarter no income has been derived, the fact shall be reported to the Custodian in the same form within the said period.

(8) Where a return of any enemy property has been made to the Custodian in Form F any change in respect of any lien on the property claimed by any person making the return shall be reported to the Custodian in the same form within one month after the change has occurred or has been effected.

(9) Notwithstanding the provisions contained in the preceding sub-paragraphs the Custodian may, if he thinks fit—

(a) exempt any person or class of persons from making the returns mentioned therein, and

(b) extend in any particular case or class of cases the time limit laid down for the submission of such returns.

(10) The provisions of sub-paragraphs (1) to (5) and (9) and of paragraph 9 shall apply to and in relation to the property (other than property which, after having been vested in the Custodian, has ceased so to vest by virtue of an order of the Central Government) of any person or body of persons declared under clause (g) of rule 130 of the Rules to be an enemy, as if for all references in the said provisions to the date of vesting of property in the Custodian there were substituted references to the 28-12-1971 or to the date of the relevant declaration, whichever is later.

9. Responsibility for making returns on behalf of companies and firms—Every director, managing agent, manager and secretary of a company and every partner of a firm, shall be responsible for communicating to the Custodian the particulars prescribed in paragraph 8.

10. **Registers of returns.**—(1) All returns relating to enemy property submitted to the Custodian in pursuance of paragraph 8 shall be recorded in such registers as may be prescribed by the Custodian.

(2) All such registers shall be open to inspection, subject to the payment of a fee of rupee one per page or part of a page of any register inspected and to such reasonable restrictions as the Custodian may impose, by any person, who in the opinion of the Custodian, is interested in any particular enemy property as a creditor or otherwise, and any such person may also obtain a copy of the relevant portion from the registers on payment of a fee of rupee one per page or part of a page.

11. **Fees for custody.**—(1) There shall be levied by the Custodian fees equal to two per centum of—

(a) the amount of money's paid to him;

(b) the proceeds of the sale or transfer of any property which is vested in him or of which the right of transfer is vested in him; and

(c) the value of the residual property, if any, at time of its transfer to the original owner:

Provided that in the case of any enemy whose property is allowed by the Custodian to be managed by some person specially authorised in that behalf, there shall be levied a fee of two per centum of the gross income of the enemy or such less fee as may be specifically fixed by the Central Government after taking into consideration the cost of direct management, incurred by Government, the cost of superior supervision, and any risks that may be incurred by Government in respect of the management:

Provided further that the Custodian may with the sanction of the Central Government reduce or remit the fees leviable under this paragraph in any special case or class of cases.

(2) The value of any property for the purpose of assessing the fees shall be the price which, in the opinion of the Central Government or of any authority empowered in this behalf by the Central Government, such property would fetch if sold in the open market.

(3) The fees in respect of any property may be levied out of any proceeds of the sale or transfer thereof, or out of any income accrued therefrom, or out of any other property belonging to the same enemy and vesting in the Custodian.

(4) The fees levied under this paragraph shall be credited to the Central Government.

FORM A

Ref. No. A.....

Form

TO

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY, Address.....
P.B. No. 689, BOMBAY.

.....

..... Date

Return showing particulars of balances or diposits standing to the credit of an enemy.

N.B.—Where not known, the contents of sealed boxes, packages, etc. deposited need not be ascertained.

Name of enemy	Address	Balances	Cash deposits	Description and Estimated Value (if known) of deposits other than cash deposits.
				Rs. Np.
			TOTAL	

FORM AA

TO

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY,
P. Box No. 689, BOMBAY.

PART I

Refund claimed aganst enemy debts already paid in to Custodian's accunt.

References		Date of deposit and name of enemy	Account of deposit]	Withdrawals claimed.	Remarks reg. nature of the claim.
Banks' letter	Custodians letters				
1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
			TOTAL CLAIMS		

PART II

Payments now to be made to Custodian.

References				Remarks		
Bank's letters	Custodian's letters	Gross collections	Amount of Bank's claims	Net payment to Custodian	Details of collection in Column 3	Details of collection in Column 4.
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
				TOTAL PAYMENT		

PART III

	Rs.
Total claims, Part I	
Total payments, Part II	
Net amount due to/by Custodian	

I certify that I have verified that the amounts claimed above are due from the particular enemy against whose assets they are now being claimed and that the above statement is to be the best of my knowledge correct.

Manager

FORM B

Ref. No B

TOTAL

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY From
P.B. No. 689, BOMBAY.

..... Address.....

.....

Date

Returning showing particulars of fall secursties of accompany belonging to an enemy.

Name of Enemy	Address	Descriptions of Securities.	Value
			Rs. Np.
		TOTAL Rs.	

FORM C

Ref. No. C

To

From

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY,
P.B. No. 689 BOMBAY.

Address

Date

Return showing particulars as to any share of profits and interest due to an enemy.

Name and address of enemy	Description of shares stocks, Debentures or debentures stock held by an enemy	Nominal Value of each holding	Enemy capital	Interest or share of profits due to an enemy	Period covered by interest or share of profits.
		Rs. Np.	Rs. Np.	Rs. Np.	Rs. Np.

Share a company makes where a partner makes the return

FORM D

Ref. No. D

To

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY
P.B. No. 689, BOMBAY

From

Address

Date

Return showing particulars of any money which would have been payable or payable or paid to or for the benefit of enemy by way of dividend, interest or share of profits.

Name of enemy	Address	Description	Value
			Rs Np.
		TOTAL Rs.	

FORM E

Ref. No. E

To

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY,
P.B. No. 689, BOMBAY.

From

Address

Date

Return showing particulars of Debts due to an enemy.

Name of enemy	Address	Description of property (Each item to be stated separate)	
		Nature of Debt	Amount
			Rs. Np.

FORM F

Ref. No. F.....

To

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY,
P.B. No. 689, BOMBAY.

Form.....

Address.....
Nature of lien claimed (if any)

Return showing particulars of enemy property in possession not already recorded with the Custodian

N.B.—This form should be used in respect of enemy property held in safe custody.
(EACH ITEM TO BE STATED SEPARATELY)

	Immovable Property			*Movable Property*	
Full name of persons for whom held (surname first)	Full Address of persons for whom held.	Full description of any Landed property held in respect of which income has been received	Amount of income received therefrom.	Full description of any movable property held in respect of which income has been received	Amount of income received therefrom
			Rs. Np.		Rs. Np.
		TOTAL			

FORM G

Ref. No. G.

To

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY,
P.B. No. 689, BOMBAY.

From

Address

.....

N.B.—This form should be used in respect of property held otherwise than in safe custody.

(*Each item to be Stated separately*)

		Immovable property		*Movable property*	
Full name of person for whom held (surname first)	Full address of person from whom held	Full description of any landed property held in respect of which income has been received	Amount of income received therefrom	Full description of any movable property held in respect of which income has been received.	Amount of income received therefrom
			Rs. Np.		Rs. Np.
		TOTAL			

FORM H

Quarterly Return of Income

Ref No H

To

THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY
P. B. No 689, BOMBAY.

From.....

Address

.....

.....
Nature of lien claimed (if any)

Date

Return showing particulars of income received from property already recorded with the Custodian and held for or on behalf of or in trust for enemies.

N.B —(1) If no income has been received since date of previous return, the fact should be recorded and the order returned to the Custodian.

(2) The amount of any lien on the income recorded, or on the property from which it is derived, should be notified if this has not already been done

		(*Each item to be stated separately*)			
		Immoveable property		*Moveable property*	
Full name of person for whom held (surname first)	Full address of person for whom held.	Full description of any landed property held in respect of which income has been received.	Amount of income received since the date of the last return.	Full description of any movable property held in respect of which income has been received.	Amount of income received since the date of last return
			Rs. Np.		Rs. Np.
	TOTAL Rs.				

[No. 12/25/71-EIEP.]
Y. T. Shah, Addl. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

एस० ओ० 5588.—शत्रु-संपत्ति (अभिरक्षा और रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1971 भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 151 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इस आदेश का नाम शत्रु संपत्ति (अभिरक्षा और रजिस्ट्रीकरण) आदेश 1971 होगा ।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अभिरक्षक से" नियम के नियम 151 के अधीन नियुक्त भारत के शत्रु-संपत्ति का अभिरक्षक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस आदेश के उपबन्धों में से सभी या किसी की बाबत अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत शत्रु-संपत्ति का कोई उप या सहायक अभिरक्षक भी है ;

(ii) "शत्रु" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी संपत्ति नियम के नियम 151 के उप-नियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अभिरक्षक में तत्समय निहित है;

(iii) "शत्रु फर्म", "शत्रु संपत्ति", "शत्रु प्रजा" और "प्रतिभूतियों" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः नियम के नियम 138 द्वारा दिए गए हैं ;

(iv) "प्ररूप" से इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(v) "नजरबन्द" से विदेशियों विषयक (नजरबन्दी) आदेश 1962 के पैरा 5 के अधीन गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तार किए जाने के लिए दायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(vi) "नजरबन्दी कैम्प" से विदेशियों विषयक (नजरबन्दी) आदेश 1962 के पैरा 4 के अधीन स्थापित कोई नजरबन्दी कैम्प अभिप्रेत है ;

(vii) "परोल केन्द्र" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा परोल केन्द्र के रूप में घोषित कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(viii) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टियों के निकाय भी हैं चाहे वह निगमित हो या नहीं —

(ix) "परोल पर व्यक्ति" से नियम के नियम 130 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट कोई विदेशी शत्रु या कोई व्यक्ति जिसकी बाबत परोल केन्द्र की परिसीमाओं में उसका निवास निर्बन्धित करते हुए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) के अधीन किया गया कोई आदेश प्रवृत्त है, अभिप्रेत है ;

(x) "नियम" से भारत रक्षा नियम, 1971 अभिप्रेत है ।

3. शत्रु को अन्यथा संदेय धन का अभिरक्षक को संदाय :—

(1) शत्रु को या उसके फायदे के लिए लाभांश, ब्याज, लाभों के शेयर के रूप में या अन्यथा संदेय कोई राशि जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा आदेश न दे उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा ऐसी राशि संदेय होती यदि नियम के भाग XVII के उपबंध न होते, अभिरक्षक को या ऐसे व्यक्ति को जिसे उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, संदत्त की जाएगी, और इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जाएगी ।

(2) उन देशों में, जिनमें धन, यदि नियम के भाग XVII के उपबन्ध न होते, ऐसे व्यक्ति या उसके फायदे के लिए विदेशी करेंसी में संदेय होता जो शत्रु है (उन देशों से भिन्न जिनमें धन उस संविदा के अधीन संदेय है जिसमें विनिर्दिष्ट विनियम की दर के लिए उपबंध किया गया है), संदाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत मध्यम शासकीय विनियम की उस तारीख की दर पर जिसको संदाय उस व्यक्ति को देय हो गया था, रुपए की करेन्सी में अभिरक्षक को किया जाएगा ।

(3) अभिरक्षक, पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और वहां तक के सिवाय जहां तक केन्द्रीय सरकार या तो साधारणतया, या किसी विनिर्दिष्ट मामले में, अन्यथा निर्दिष्ट या आदिष्ट करे, इस आदेश के अधीन उसे संदत्त किए गए किसी धन को और नियम के नियम 151 के उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा

उसमें निहित किसी सम्पत्ति को तब तक धारित करेगा जब तक कि 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गई आपात उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त नहीं हो जाता है, और तत्पश्चात् उसके साथ ऐसी नीति में बरतेगा जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

4. **अभिरक्षक में निहित होने वाली शत्रु सम्पत्ति की बाबत उसकी शक्तियां**.—(1) जब कभी नियम के नियम 151 के उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा शत्रु की सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हो जाती है तो अभिरक्षक, ऐसे अध्युपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जैसे वह सम्पत्ति को परिरक्षित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझते हैं और जहां सम्पत्ति किसी व्यष्टिक शत्रु-सम्पत्ति है, वहां सम्पत्ति में से ऐसे व्यय उपगत कर सकेगा जैसे वह उस व्यष्टि के या भारत में उसके कुटुम्ब के अनुरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है ।

(2) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिरक्षक या ऐसा व्यक्ति जो उसके द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत हो, उक्त प्रयोजन के लिए,—

(1) शत्रु के कारोबार को चला सकेगा,

(2) शत्रु को शीघ्य किसी भी धन को वसूल करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा,

(3) शत्रु के नाम में और उसकी ओर से कोई संविदा कर सकेगा और कोई दस्तावेज निष्पादित कर सकेगा,

(4) किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही को संस्थित, प्रतिवादित कर सकेगा, या आगे चला सकेगा, कोई विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट कर सकेगा, और किन्हीं ऋणों, दावों या दायित्वों के बारे में समझौता कर सकेगा,

(5) सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उतना उधार ले सकेगा जितना आवश्यक हो,

(6) कोई व्यय उपगत कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किन्हीं करों, शुल्कों, उपकरों और रेटों का, और शत्रु के किसी भी कर्मचारी को या उस की बाबत कोई मजदूरी, सम्बलम्, पेंशन या भविष्य निधि अभिदाय का सदाय तथा शत्रु द्वारा शत्रुओं से भिन्न व्यक्तियों को किन्हीं ऋणों का प्रतिसंदाय भी है ;

(7) विक्रय, बंधक या पट्टे के रूप में अन्तरण, या सम्पत्ति में से किसी का अन्यथा व्ययन कर सकेगा, और

(8) शत्रुओं की ओर से उसके द्वारा धारित किन्हीं धन को खजाना बिलों या ऐसी अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाएं, विनिहित कर सकेगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति की बाबत जो भारत का नागरिक है और नियम के नियम 130 के खण्ड (ख) के अर्थ में शत्रु है, अभिरक्षक की, उप पैरा (2) में वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे व्यक्ति और उसके आश्रितों को संदाय करने की शक्ति

(ii) ऐसे व्यक्ति की ओर से ऐसे व्यक्तियों को, जो नियम के नियम 130 के अधीन शत्रुओं से भिन्न हैं, उस तारीख को बकाया देय, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति शत्रु बन गया, संदाय करने की शक्ति, और

(iii) साधारणतः ऐसे व्यक्ति की निधि में से ऐसे अन्य संदाय करना जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश किया जाए ।

(4) ऐसी सम्पत्ति की बाबत, जो ऐसे नजरबन्द या परोल पर व्यक्ति की थी जिसकी मृत्यु भारत में हो गई थी, अभिरक्षक की, उप-पैरा (1) और (2) में वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) मृतक के द्वारा किसी प्राधिकारी या नजरबन्दी कैम्प या परोल केन्द्र में किसी व्यक्ति को देय किन्हीं का प्रति संदाय करने की शक्ति;

(ii) मृतक की अंत्येष्टि में खर्च करने की शक्ति; और

(iii) मृतक की निधि में से ऐसे अन्य संदाय करने की शक्ति, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश किया जाए ।

5. **कुर्की, आदि से छूट.**—अभिरक्षक में निहित होने वाली सभी शत्रु-सम्पत्ति को किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेशों के निष्पादन में कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय से छूट होगी ।

6. **किसी शत्रु की प्रतिभूतियों का अन्तरण**— (1) जहां पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिरक्षक किसी कम्पनी द्वारा जारी की गई और किसी शत्रु की किन्हीं प्रतिभूतियों का विक्रय करने की प्रस्थापना करता है वहां, कम्पनी, अभिरक्षक की सम्पत्ति से, कम्पनी की किसी विधि में या किन्हीं विनियमों में इसके प्रतिकूल कोई बात होते हुए भी, प्रतिभूतियां खरीद सकेगी और इस प्रकार खरीदी गई किन्हीं प्रतिभूतियों को कम्पनी द्वारा, जैसे और जब वह ऐसा करना ठीक समझे, फिर जारी किया जा सकेगा ।

(2) जहां कम्पनी द्वारा जारी की गई किन्हीं प्रतिभूतियों का अन्तरण अभिक्षक निष्पादित करता है, वहां कम्पनी, अन्तरण पत्र और इस निमित्त अभिरक्षक से आदेश की प्राप्ति पर प्रतिभूतियों को अन्तरिती के नाम में इस बात के होते हुए भी कि कम्पनी के विनियम, अन्तरित प्रतिभूतियों से संबंधित सार्टिफिकेट स्क्रिप्ट या हक के अन्य साक्ष्य के अभाव में, ऐसा रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात नहीं करते, रजिस्ट्रर करेगी :

परन्तु ऐसा कोई रजिस्ट्रीकरण, कम्पनी के पक्ष में किसी धारणाधिकार या प्रभार और किसी ऐसे अन्य धारणाधिकार या प्रभार पर, जिसकी अभिरक्षक कम्पनी को अभिव्यक्त सूचना दे, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।]

7. **अभिरक्षक की व्यक्तियों को समन्वित करने और दस्तावेजों को संगृहीत करने की शक्ति.**—(1) अभिरक्षक, लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह किसी शत्रु की सम्पत्ति के संबंध में सूचना देने में समर्थ है, अपने समक्ष ऐसे समय और स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसके संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, उसके कथन को लिखित रूप दे सकेगा और उससे उसे हस्ताक्षरित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) अभिरक्षक लिखित सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में उसे यह विश्वास है कि उसके कब्जे या नियंत्रण में किसी शत्रु-सम्पत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई लेखा-बही, पत्र-पंजी, बीजक रसीद, या अन्य दस्तावेज हो, उसे अभिरक्षक के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पेश करने या कराने, उसे अपनी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसमें की किसी प्रविष्टि या उसके किसी भाग की प्रतियां उसके द्वारा लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

8. **शत्रु सम्पत्ति से संबंधित विवरणियां**—(1) भारत में कारबार करने वाला प्रत्येक बैंक, जिसके पास किसी शत्रु के खाते में जमा कोई अतिशेष या निक्षेप हैं, उसकी सम्पत्ति के अभिरक्षक में निहित होने के दो मास के भीतर अभिरक्षक को प्ररूप क में ऐसे अतिशेषों या निक्षेपों की पूरी विशिष्टियां संसूचित करेगा और ऐसी संसूचना को दो मास के भीतर अभिरक्षक को प्ररूप ख में उस शत्रु द्वारा उसे देय ऋणों की पूरी विशिष्टियां संसूचित कर सकेगा।

टिप्पण—बाद में प्रस्तुत दावों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि विलम्ब के लिए आपवादिक और विधिमान्य कारण न हों।

(2) भारत में निगमित प्रत्येक कम्पनी, और प्रत्येक कम्पनी जो, यद्यपि भारत में नियमित नहीं है, किन्तु जिसका भारत में शेयर-अन्तरण या शेयर-रजिस्ट्रीकरण कार्यालय है, कम्पनी की प्रतिभूतियां धारण करने वाले किसी शत्रु की सम्पत्ति के निहित होने के दो मास के भीतर, अभिरक्षक को प्ररूप ख में ऐसे शत्रु द्वारा धारित कम्पनी की सभी प्रतिभूतियों की पूरी विशिष्टियां संसूचित करेगी।

(3) भारत में कारबार करने वाली प्रत्येक फर्म, जिसके एक या दो भागीदार शत्रु हों, उन की सम्पत्ति के अभिरक्षक में निहित होने के दो मास के भीतर और तत्पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर, जो अभिरक्षक द्वारा विहित किए जाएं, अभिरक्षक को प्ररूप ग में ऐसे शत्रुओं को देय लाभों और ब्याज के किसी हिस्से की पूरी विशिष्टियां संसूचित करेगी।

(4) भारत में निवास या कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसके द्वारा कोई धन, यदि नियम के भाग XVII के उपबन्ध न होते तो लाभांश, ब्याज या लाभों के शेयर के रूप में किसी शत्रु के फायदे के लिए संदेय या संदत्त होता, अपनी सम्पत्ति के निहित होने के दो मास के भीतर, या यदि ऐसा धन उस अवधि के पश्चात् संदेय हो, तो इसके संदेय होने के एक मास के भीतर अभिरक्षक को प्ररूप घ में ऐसे धन की पूरी विशिष्टियां संसूचित करेगा।

(5) बैंक से भिन्न भारत में निवास और कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसे शत्रु को कोई ऋण देना है, अपनी सम्पत्ति के निहित होने के दो मास के भीतर अभिरक्षक को प्ररूप ङ में ऐसे ऋणों की पूरी विशिष्टियां देगा।

(6) भारत में निवास या कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में, किसी शत्रु प्रजा (जो शत्रु फर्म भी है) की या उसके द्वारा धारित या उसकी ओर से प्रबन्धित कोई सम्पत्ति हो (जिसमें भारत में किसी नजरबंदी कैम्प में निरुद्ध या पैरोल केन्द्र तक निर्बन्धित शत्रु प्रजा की ऐसी कोई सम्पत्ति भी है) और जो पूर्ववर्ती उप पैराओं के अन्तर्गत नहीं आती हो, सम्पत्ति के निहित होने के दो मास के भीतर, या यदि निहित सम्पत्ति उसके कब्जे या नियंत्रण में उस अवधि के अवसान के पश्चात् आती है तो ऐसे कब्जे या नियंत्रण में आने के एक मास के भीतर, अभिरक्षक को निरापद अभिरक्षा में धारित सम्पत्ति की दशा में प्ररूप च में और अन्यथा धारित सम्पत्ति की दशा में प्ररूप छ में ऐसी सम्पत्ति की पूरी विशिष्टियां संसूचित करेगा। नजरबन्द व्यक्तियों से भिन्न, भारत में निवास करने वाली शत्रु-प्रजाओं की सम्पत्ति की दशा में उपरोक्त विशिष्टियां शत्रु प्रजाओं के पूर्वोक्त वर्ग के बैंक अतिशेषों तथा निक्षेपों, उपदान, भविष्यनिधियों, लाभांशों और समरूप संदायों, प्रतिभूतियों और स्थावर संपत्ति तक सीमित होंगी।

(7) जहां किसी तिमाही में शत्रु सम्पत्ति की विवरणी अभिरक्षक को प्ररूप च या प्ररूप छ में दी गई है वहां, उस तिमाही और प्रत्येक पश्चात्वर्ती तिमाही के दौरान ऐसी सम्पत्ति से व्युत्पन्न किसी आय की विशिष्टियां, तिमाही के पर्यवसान के एक मास के भीतर प्ररूप ज में अभिरक्षक को संसूचित

की जाएगी, और यदि किसी तिमाही में कोई आय व्युत्पन्न न हुई हो तो इस तथ्य की रिपोर्ट अभिरक्षक को उसी प्ररूप में उक्त अवधि के भीतर की जाएगी ।

(8) जहां किसी शत्रु सम्पत्ति की विवरणी अभिरक्षक को प्ररूप में दी गई है, वहां विवरणी देने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दावाकृत सम्पत्ति पर किसी धारणाधिकार की बाबत किसी परिवर्तन की रिपोर्ट अभिरक्षक को उसी प्ररूप में, परिवर्तन होने या उसके प्रभावी होने के पश्चात् एक मास के भीतर की जाएगी ।

(9) पूर्ववर्ती उप-पैराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, अभिरक्षक, यह सब ठीक समझे तो —

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उसमें वर्णित विवरणी देने से छूट दे सकेगा, और

(ख) किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग में ऐसी विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिकथित समय की परिसीमा का विस्तार कर सकेगा ।

(10) उप-पैरा (1) से (5) तक और (9) और पैरा 9 के उपबंध, नियम के नियम 130 के खण्ड (छ) के अधीन शत्रु के रूप में घोषित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की सम्पत्ति (उस सम्पत्ति से भिन्न जिसका, अभिरक्षक में निहित हो जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के आदेश के आधार पर इस प्रकार निहित होना समाप्त हो गया है) को और उसके संबंध में ऐसे लागू होंगे मानों अभिरक्षक में सम्पत्ति के निहित होने की तारीख के संबंध में उक्त उपबंधों में सभी निदेशों के लिए उसमें 28–12–1971 के प्रति, या तत्संबंधी घोषणा की तारीख, के प्रति, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रतिस्थापित निर्देश थे ।

9. **कम्पनियों और फर्मों की ओर से विवरणियां देने का उत्तरदायित्व.**— किसी कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक और सचिव तथा किसी फर्म का प्रत्येक भागीदार, पैरा 8 में विहित विशिष्टियों को अभिरक्षक को संसूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

10. **विवरणियों के रजिस्टर.**— (1) पैरा 8 के अनुसरण में शत्रु-सम्पत्ति संबंधी अभिरक्षक को दी जाने वाली सभी विवरणियां ऐसे रजिस्टरों में अभिलिखित की जाएगी जैसा अभिरक्षक द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) ऐसे भी रजिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अभिरक्षक की राय में, किसी विशिष्ट शत्रु सम्पत्ति में लेनदार के रूप में या अन्यथा हितबद्ध है, किसी निक्षित रजिस्टर के प्रति पृष्ठ या उस पृष्ठ के भाग के लिए एक रुपए की फीस के संदाय और ऐसे समुचित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा अभिरक्षक अधिरोपित करे, निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और ऐसा कोई व्यक्ति, रजिस्टर के प्रति पृष्ठ या पृष्ठ के किसी भाग के लिए एक रुपए की फीस के संदाय पर रजिस्टर के तत्संबंधी प्रभाग की एक प्रति भी अभिप्राप्त कर सकेगा ।

11. अभिरक्षा के लिए फीस— (1) अभिरक्षक—

(क) उसको संदत्त धन की रकम;

(ख) किसी सम्पत्ति के, जो उसमें निहित है या जिसके अन्तरण का अधिकार उसमें निहित है विक्रय या अन्तरण के आगम; और

(ग) मूल स्वामी को सम्पत्ति के अन्तरण के समय अवशिष्ट सम्पत्ति के मूल्य, यदि कोई हो, के दो प्रतिशत के बराबर फीस उद्गृहीत करेगा ।

परन्तु किसी शत्रु की दशा में जिसकी सम्पत्ति का अभिरक्षक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस संबंध में विशेषरूप प्राधिकृत किया गया हो, प्रबन्ध किए जाने की अनुज्ञा देता है तो शत्रु की कुल आय की दो प्रतिशत फीस या ऐसी कम फीस उदग्रहीत की जाएगी जैसी सरकार द्वारा उपगत प्रत्यक्ष प्रबन्ध के खर्च, अच्छे पर्यवेक्षण के खर्च और किसी जोखिम, जो उस प्रबन्ध की बाबत सरकार द्वारा उपगत की जाए को ध्यान में रखने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्टतः नियत की जाए ।

परन्तु यह भी और कि अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में इस पैरा के अधीन उदग्रहणीय फीस कम कर सकेगा या उसे छूट दे सकेगा ।

(2) फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का मूल्य वह कीमत होगी जो, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी प्राधिकारी की राय में, उसे सम्पत्ति को खुले बाजार में विक्रय करने से प्राप्त हो ।

(3) किसी सम्पत्ति की बाबत फीस, विक्रय के किसी आगम से या उसके अन्तरण से, या उसके प्रोद्भूत होने वाली किसी आय से या उसी शत्रु से संबंधित और अभिरक्षक में निहित हो जाने वाली किसी अन्य सम्पत्ति से उदग्रहीत की जाएगी ।

(4) इस पैरा के अधीन उदग्रहीत फीस, केन्द्रीय सरकार को जमा की जाएगी ।

प्ररूप क

निर्देश सं० क

प्ररूप

पता

.....

सेवा में,

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक
पो०बा०सं० 689, मुम्बई

.....तारीख.....

किसी शत्रु के जमाखाते में विद्यमान अतिशेषों या निक्षेपों की विशिष्टियां दर्शित करने वाली विवरणी ।

ध्यान दीजिए—जहां ज्ञात नहीं हो, निक्षिप्त सीलबन्द पेटियों, पैकेजों आदि की अन्तर्वस्तुओं का अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

शत्रु का नाम	पता अतिशेष	नकद निक्षेप	नकद निक्षेपों से भिन्न निक्षेपों का (यदि ज्ञात हो) वर्णन और प्राक्कलित मूल्य)
		रु० पै०	
		कुल रु०	

प्ररूप कक

सेवा में,

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,
पोस्ट बाक्स सं० 689, मुम्बई ।

भाग I

अभिरक्षक के लेखे में पहले से ही संदत्त शत्रुऋणों के प्रति किए गए दावों की वापसी

निर्देश		निक्षेप की तारीख और शत्रु का नाम	निक्षेप का खाता	दावाकृत प्रत्याहरण	दावे की प्रकृति से सम्बन्धित टिप्पणियां
बैंक के पत्र	अभिरक्षक के पत्र				
1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०

कुल दावे.....

भाग II

अभिरक्षक को संदाय कैसे किया जाएगा ।

निदेश			टिप्पणियां			
बैंक के पत्र	अभिरक्षक के पत्र	सकल संग्रहण	बैंक के दावों की रकम	अभिरक्षक को शुद्ध संदाय	स्तम्भ 3 में के संग्रहण के ब्यौरे	स्तम्भ 4 में के संग्रहण के ब्यौरे
1	2	3	4	5	6	7
		रु०	०	रु०	रु०	

कुल संदाय.....

भाग III

रु०

कुल दावे, भाग I.....

कुल संदाय, भाग II.....

अभिरक्षक को I से देय शुद्ध रकम.....

.....

.....

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने सत्यापित कर लिया है कि ऊपर दावा की गई रकमें उस विशिष्ट शत्रु के शोध्य हैं जिसकी आस्तियों के प्रति उनके लिए अब दावा किया गया है और यह कि उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है ।

प्रबन्धक

प्ररूप ख

सेवा में,

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,
पोस्ट बाक्स सं० 689, मुम्बई

निर्देश संख्या ख.....

.....से

पता

.....

तारीख

शत्रु की किसी कम्पनी की सभी प्रतिभूतियों की विशिष्टियां दर्शित करने वाली विवरणी ।

शत्रु का नाम	पता	प्रतिभूतियों का वर्णन	मूल्य

रु० पै०

कुल रु०

प्ररूप ग

सेवा में,

निर्देश सं० ग———————

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,
पो० बा० सं० 689, मुम्बई

———————से
———————

तारीख ———————

शत्रु को शोध्य लाभों का कोई शेयर और ब्याज की विशिष्टियां दर्शित करने वाली विवरणी

	जहां कोई कम्पनी विवरणी बनाती है		जहां कोई भागीदार विवरणी बनाता है	
शत्रु का पता नाम	शत्रु द्वारा धारित शेयर, स्टाक, डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक का वर्णन	प्रत्येक धारण का मूल्य	शत्रु को शोध्य ब्याज या लाभों का शेयर	ब्याज या लोगों के शेयर के अधीन आने वाली अवधि
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०

प्ररूप घ

सेवा में,

निर्देश सं० ———————

———————से

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक
पो० बा० सं० 689, मुम्बई

पता———————

तारीख———————

ऐसे किसी धन की जो लाभांश ब्याज या लाभों के शेयर के रूप में शत्रु को या उसके फायदे के लिए संदेय या संदत्त होता, विशिष्टियां दर्शित करने वाली विवरणी

शत्रु का नाम	पता	वर्णन	मूल्य
			रु० पै०
			———————
		कुल	रु०
			———————

प्ररूप ङ०

सेवा में,

निर्देश सं० ङ०----------

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,

----------से

पो०बा०सं० 689, मुम्बई

पता ----------

तारीख----------

शत्रु को शोध्य ऋणों को दर्शित करने वाली विवरणी

सम्पत्ति का वर्णन
(प्रत्येक मद पृथक से कथित होगी)

शत्रु का नाम

पता ----------

ऋण का प्रकार

रकम

रु० पै०

प्ररूप च

सेवा में,

निर्देश सं० च----------

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,

----------से

पो०बा०सं० 689, मुम्बई

पता----------

---------- दावाकृत धारणाधिकार (यदि कोई हो) का प्रकार

कब्जे में की उस शत्रु-सम्पत्ति की विशिष्टियां, जो पहले से ही अभिरक्षक के पास अभिलिखित न हों, दर्शित करने वाली विवरणी ।

ध्यान दीजिए—इस प्ररूप का उस शत्रु-सम्पत्ति की बाबत प्रयोग किया जाना चाहिए जो निरापद अभिरक्षा में हो ।

(प्रत्येक मद पृथक से कथित होगी)

जिस व्यक्ति द्वारा धारित हो, उसका पूरा नाम (कुल नाम पहले)	उस व्यक्ति का पूरा पता जिसके लिए धारित हो	ऐसी धारित भू-सम्पत्ति का पूर्ण वर्णन जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई हो	उससे प्राप्त आय की रकम	ऐसी धारित जंगम सम्पत्ति का पूर्ण जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई है	उससे प्राप्त आय की रकम
			रु० पै०		रु० पै०
			कुल रु०		

प्ररूप छ

सेवा में ,
शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,
पो०बा०सं० 689, मुम्बई

निर्देश सं० छ—————————
————————————से
पता—————————————

ध्यान दीजिए—जिस प्ररूप का निरापद अभिरक्षा में की सम्पत्ति की बाबत प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(प्रत्येक मद पृथक रूप से कथित किया जाना चाहिए)

उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसके लिए धारित है (कुल नाम पहले)	उस व्यक्ति का पूरा पता जिसके लिए धारित है	ऐसी धारित भू-सम्पत्ति का पूरा वर्णन जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई है	उससे प्राप्त आय की रकम	ऐसी धारित जंगम सम्पत्ति का पूर्ण वर्णन जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई है	उससे प्राप्त आय की रकम
			० पै०		रु० पै०
			कुल रु०		

प्ररूप ज

आय की तिमाही विवरणी

सेवा में,

शत्रु-सम्पत्ति का अभिरक्षक,
पो० बा० सं० 689, मुम्बई,

निर्देश सं० ज----------

पता---------

दावाकृत धारणाधिकार (यदि कोई हो) का प्राकर

तारीख----------

अभिरक्षक के पास पहले ही अभिलिखित और शत्रुओं के लिए या उनकी ओर से या उनके लिए न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति से प्राप्त आय की विशिष्टियां दर्शित करने वाली विवरणी ।

ध्यान दीजिए–(1) यदि पूर्व विवरणी की तारीख से कोई आय प्राप्त न हुई हो, तो यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए और आदेश अभिरक्षक को वापस कर दिया जाना चाहिए ।

(2) अभिलिखित उस आय या उस सम्पत्ति पर किसी धारणाधिकार की रकम, जिससे वह व्युत्पन्न हुई है अधिसूचित की जानी चाहिए, यदि, यह पहले ही न कर दिया गया हो ।

(प्रत्येक मद पृथक से कथित की जानी चाहिए)					
उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसके लिए धारित हो (कुल नाम प्रथम)	उस व्यक्ति का पूरा पता जिसके लिए धारित हो	ऐसी धारित भू-सम्पत्ति का पूर्ण वर्णन जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई हो ।	अन्तिम विवरणी की तारीख से प्राप्त आय की रकम	ऐसी धारित जंगम सम्पत्ति का पूर्ण वर्णन जिसकी बाबत आय प्राप्त हुई हो ।	अन्तिम विवरणी की तारीख से प्राप्त आय की रकम
			रु० पै०		रु० पै०

कुल रु०

[सं० 12/25/71--नियति-निरीक्षण शत्रु-संपत्ति]

वाई० टी० शाह, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971